



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरसी, जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

प्रकरण संख्या:- 173/2025

जी.सी.एम.एस नं० 2025/502

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. मैसर्स सवेरा ग्रीन्स जरिये
पार्टनर रितेश पाटनी पुत्र
भागचन्द पाटनी निवासी मकान
नम्बर सी-84, सिद्धार्थ नगर,
जेएलएन मार्ग जयपुर-302017

1. कौशल्या शर्मा पत्नी रामरतन शर्मा
2. पुष्पा देवी पुत्री रामरतन शर्मा
3. मुकेश शर्मा पुत्र रामरतन शर्मा
4. ममता शर्मा पुत्री रामरतन शर्मा
समस्त जाति ब्राहमण निवासी न्यू कॉलोनी,
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे, ग्राम गोनेर
तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. ताराचन्द पुत्र रामेश्वर
6. मदन पुत्र रामेश्वर
7. सुरेश पुत्र रामेश्वर
समस्त जाति ब्राहमण निवासी दीवान पार्क हाउस
के सामने, सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय की
गली, ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला
जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बरसी,
तहसील बरसी जिला जयपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री संजय जैन, एड० वादी।
श्री कमलेश जाट, एड० प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

पर्चा डिक्री

दिनांक 20/11/2025

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खाता संख्या नया 88 खसरा
नम्बर 37 रकबा 5.0959 हैक्टियर वाके ग्राम बाला की नांगल पटवार हल्का सिन्दोली भू०अ०नि०
क्षेत्र फाल्यावास तहसील बरसी जिला जयपुर राजस्थान मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता
7 द्वारा पेश राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है। राजीनामा में पेश गजरी नक्शा
अनुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक
दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को वाद तकसीम अपने
पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर
बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत
स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा पेश
राजीनामा दिनांक 20.11.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।
यह निर्णय आज दिनांक 20/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बरसी
जिला जयपुर

